न्यायालय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

सत्र वाद सं0–432/21

20.09.21

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से अन्तगर्त धारा 228 दं.प्र.सं. का एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध 307 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधिनियम का मामला नहीं बनता है और बाकी शेष धाराएँ न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय है। आगे उनका कथन है कि इस वाद में शिवबालक यादव मात्र एक जख्मी है और उनका जख्म साधारण एवं गंभीर पाया गया है, परन्तु गंभीर जख्म किसी मर्म स्थान पर नहीं पाया गया है तथा सभी जख्म कड़े एवं भोथरे हथियार द्वारा कारित पाया गया है। उनका आगे कथन है कि जख्मी के जख्म प्रतिवेदन में fire arm injury नहीं पाया गया है। अतः निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तों को भा.द.वि. की धारा 307 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के तहत लगाये गये आरोपों से उन्मोचित किया जाय तथा शेष आरोपों के विचारण हेतु मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को अभिलेख रिमाण्ड किया जाय। आवेदक के आवेदन की कॉपी लोक अभियोजक को दिया गया है। लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का जोरदार विरोध किया है और कहा है कि आवेदक का आवेदन पोषणीय नहीं है तथा आवेदकगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 307 व अन्य धाराएँ में आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध है। उभय पक्षों को सुना। अभिलेखे व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। इसके अनुसार कंडिका–3 में वादी का पुनर्बयान है, जिसने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका–7,8,31,32,33 में गवाहों का बयान अंकित किया गया है। सभी ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कंडिका–26 में जख्मी का जख्म–पत्र अंकित किया गया है। इसके अनुसार जख्म सं0–1 और 3 को गंभीर जख्म पाया गया है और जख्म सं0–2 साधारण जख्म पाया गया है। डॉ0 द्वारा सिर्फ जख्म सं0–3 के बारे में यह मन्तव्य दिया गया है कि जख्म कड़े एवं भोथरे हथियार से कारित किया गया है। जब कि जख्म सं0–1 एवं 2 के बारे में कोई मन्तव्य नहीं दिया गया कि उपरोक्त दोनों जख्म किस प्रकार से कारित किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कांड दैनिकी में आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य एवं सामग्री उपलब्ध है। अभियुक्तों के विरूद्ध जानलेवा हमला का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण का आवेदन पोषणीय प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार आवेदकगण की ओर से दाखिल धारा 228 दं.प्र.सं. का आवेदन खारिज किया जाता है।

दिनांक वास्ते आवेदकगण आरोप गठन हेतु सदेह उपस्थित रहें। (लेखापित)

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।